

(ख) नये टैन के लिए अनुदेश →

<https://tin.fin.nsdl.com/tan/InstructionsTanRegistration.html>

फॉर्म 49बी भरने के लिए अनुदेश

क) बायें अंगूठे का निशान, यदि लगाया जाता है, किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक सील या मुहर के अधीन अनुप्रमाणित होना चाहिए।

ख) कटौतीकर्ताओं से अपेक्षित है कि आवेदन में कर-निर्धारण अधिकारी (टीडीएस / टीसीएस) के विवरण दें। ये विवरण आयकर कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

ग) कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को क्षेत्र कोड, एओ प्रकार, रेंज कोड तथा एओ नंबर अवश्य भरना चाहिए।

घ) 'कर का भुगतान करने / संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम' फील्ड को भरना अनिवार्य है, जहां भी लागू हो।

ङ) आवेदक का पता सिर्फ भारतीय पता होना चाहिए।

मद सं.	मद विवरण	फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश
1	नाम	कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता फॉर्म में निर्दिष्ट फील्ड 1(क) से 1(ज) में से किसी एक फील्ड में अपनी श्रेणी के आधार पर अपने नाम का विवरण भरेगा। यदि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता एक से अधिक श्रेणी में विवरण भरता है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1(क)	नाम - केन्द्र / राज्य सरकार	केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता इस फील्ड में नाम भरेंगे। कार्यालय का नाम अनिवार्य है। संगठन/ विभाग / मंत्रालय का नाम संबंधित विवरण के साथ भरा जाए। उदाहरण के लिए, यदि आयकर विभाग में आयकर निदेशालय (पद्धति) टैन के लिए आवेदन कर रहा है तो वह नाम फील्डों को निम्नलिखित रूप में भरेगा : कार्यालय का नाम : आयकर निदेशालय (पद्धति) संगठन का नाम : आयकर विभाग विभाग का नाम : राजस्व विभाग

		<p>मंत्रालय का नाम : वित्त मंत्रालय</p> <p>केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी (केन्द्र सरकार) या स्थानीय प्राधिकारी (राज्य सरकार) के लिए संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करेंगे।</p>
1(ख)	नाम - सांविधिक / स्वायत्त निकाय	<p>कार्यालय का नाम अनिवार्य है।</p> <p>सांविधिक निकाय / स्वायत्त निकाय के लिए संबंधित बॉक्स में कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता द्वारा टिक किया जाए।</p> <p>उदाहरण के लिए, यदि भारतीय जीवन बीमा निगम का बांद्रा कार्यालय टैन के लिए आवेदन कर रहा है तो वह नाम फील्डों को निम्नलिखित रूप में भरेगा :</p> <p>कार्यालय का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम, बान्द्रा</p> <p>संगठन का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम</p> <p>सांविधिक निकाय / स्वायत्त निकाय संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करें।</p>
1(ग)	नाम - कंपनी	<p>यदि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता एक कंपनी (अर्थात् एक बैंक) है तो यह प्वाइंट लागू है। 'कंपनी का नाम' भरना अनिवार्य है।</p> <p>यह श्रेणी कंपनी द्वारा भरी जानी चाहिए, यदि वह समग्र रूप में कंपनी के लिए टैन के लिए आवेदन कर रही है। यदि कंपनी विभिन्न डिविजनों / शाखाओं के लिए अलग-अलग टैन के लिए आवेदन करना चाहती है तो प्वाइंट 1(घ) भरा जाना चाहिए।</p> <p>नाम में कोई संक्षेपाक्षर नहीं होना चाहिए, उदाहरण के लिए, 'प्राइवेट लिमिटेड' को प्रा. लि., प्राइवेट लि., प्रा. लिमिटेड, पी लि., पी. लि.आदि रूप में लिखने की अनुमति नहीं है। यह 'प्राइवेट लिमिटेड' या 'लिमिटेड' ही होना चाहिए।</p> <p>उदाहरण के लिए:</p> <p>कंपनी का नाम: एबीसी प्राइवेट लिमिटेड</p> <p>कंपनी की श्रेणी: कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करें।</p>
1(घ)	कंपनी की	यदि कंपनी की शाखा / डिविजन अपने अलग टैन के लिए आवेदन कर

	शाखा	<p>रही है तो वह इस फील्ड में शाखा (जिसके नाम में टैन चाहा गया है) के नाम तथा स्थान का उल्लेख करेगी। अलग टैन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की विभिन्न शाखाएं इस फील्ड को भरेंगी।</p> <p>उदाहरण के लिए अंधेरी में स्थित एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सीमेंट डिविजन निम्नलिखित रूप में भरेगा :</p> <p>कंपनी का नाम : एबीसी प्राइवेट लिमिटेड</p> <p>डिविजन का नाम : सीमेंट डिविजन</p> <p>शाखा का नाम / स्थान : अंधेरी शाखा</p> <p>अथवा</p> <p>एबीसी बैंक ऑफ इंडिया - नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा:</p> <p>कंपनी का नाम : एबीसी बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>डिविजन का नाम :</p> <p>शाखा का नाम / स्थान : नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई</p> <p>कंपनी की श्रेणी - कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करेंगे।</p>						
1(ड)	नाम - व्यक्ति / हिन्दू अविभक्त परिवार (कर्ता)	<p>पहला नाम अनिवार्य है। कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता का पूरा नाम लिखा जाना चाहिए, न कि संक्षिप्त रूप में। अपवाद स्वरूप, बहुत बड़े मध्य नामों को संक्षिप्त किया जा सकता है। नाम से पहले श्री, श्रीमती, सुश्री, कुमारी, स्वर्गीय, मेजर, डॉ. आदि नहीं लगाये जाने चाहिए। यदि नाम से पहले उपाधि लगायी जाती है तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।</p> <p>व्यक्ति / एचयूएफ (कर्ता) को अपने पूरे विस्तारित नाम का उल्लेख करना चाहिए और अंतिम, मध्य तथा प्रथम नाम के लिए उपयुक्त फील्ड को भरना चाहिए। उदाहरण के लिए, दिनेश कुमार गर्ग को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा :</p> <table border="0" data-bbox="565 1696 1268 1822"> <tr> <td>अंतिम नाम / कुलनाम</td> <td>प्रथम नाम</td> <td>मध्य नाम</td> </tr> <tr> <td>गर्ग</td> <td>दिनेश</td> <td>कुमार</td> </tr> </table> <p>अथवा, यदि मध्य नाम नहीं है, उसे खाली छोड़ा जाएगा। उदाहरण के</p>	अंतिम नाम / कुलनाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	गर्ग	दिनेश	कुमार
अंतिम नाम / कुलनाम	प्रथम नाम	मध्य नाम						
गर्ग	दिनेश	कुमार						

		आईडी का उल्लेख करें ताकि आवेदन फॉर्म में किसी विसंगति के मामले में उनसे संपर्क किया जा सके। आवेदकों को ई-मेल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैध ई-मेल आईडी देना चाहिए।
3.	कटौतीकर्ता की राष्ट्रीयता	यह फील्ड सभी श्रेणी के कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं के लिए अनिवार्य है।
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन)	कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता उसे आबंटित मौजूदा 10 अंकीय स्थायी खाता संख्या, यदि कोई है, का उल्लेख करेगा, अन्यथा इस फील्ड को खाली छोड़ देगा।
5.	मौजूदा कर कटौती खाता संख्या (टैन)	यदि कटौतीकर्ता के पास पुराने फॉर्मेट में मौजूदा टैन है तो वह इस फील्ड में उसका उल्लेख करेगा।
6.	मौजूदा कर संग्रहण खाता संख्या (टैन)	यदि कटौतीकर्ता के पास पुराने फॉर्मेट में मौजूदा टैन है तो वह इस फील्ड में उसका उल्लेख करेगा।
7.	भुगतान का विवरण	आवेदक के पास डिमांड ड्राफ्ट, चेक या क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करने का विकल्प है (भुगतान का विवरण दिशानिर्देशों में दिया गया है।

टैन आवेदकों के लिए सामान्य जानकारी

टैन आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए टिन - एफसी को अदा किये जाने वाला शुल्क 55.00 ₹ (+ लागू सेवा कर) है।

यदि आवेदक को पहले से ही दस अंकीय वर्ण-संख्यात्मक टैन आबंटित है तो वह पुनः आवेदन नहीं करेगा क्योंकि एक से अधिक टैन रखना तथा उसका इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। तथापि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता की विभिन्न शाखाएं/ डिविजन हरेक शाखा / डिविजन के लिए अलग टैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को पहले ही टैन आबंटित किया गया है और विवरण (अर्थात् नाम, पता आदि) में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह 'आबंटित टैन के लिए टैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु फॉर्म' भर सकता है।

कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को फॉर्म 49बी प्रस्तुत करने पर 14 अंकों की एक विशिष्ट संख्या से युक्त पावती प्राप्त होगी। कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए इस पावती संख्या का प्रयोग कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए

हमारी वेबसाइट <http://www.tin-nsdl.com> देखें।

पैन/टीडीएस कॉल सेन्टर में 020 - 2721 8080 पर फोन करें.

ई-मेल करें : tininfo@nsdl.co.in

एसएमएस करें NSDLTAN <स्थान छोड़े> 14 अंको की प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें।

लिखें : एनएसडीएल ई गवर्नेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,

प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,

मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,

पुणे – 411 016.